

आप की अंतिम तिथि: 88 दिनि-11.12.2021 के अंतर्गत है

कक्षा ऐडिजेंट-सी वीएच पटना, वेगर्स क्लब्स एनी कनस्ट्रक्शन ग्रुप लिड, निदेशक-बीएलटी प्रदीप बाबा, फिला-डी एजीएम कथन प्रसाद, फोन-101, एसायन अकादमिस्ट, न्यू राकवर्गता रोड, पटना।

- (क) आयातीय भवन के निर्माण
- (ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण
- (ग) भवन के पुनर्निर्माण
- (घ) विद्यमान भवन में जीर्णोद्धार का जीर्णोद्धार
- (ङ) भवन के उपयोग में जीर्णोद्धार

श्री. दानापुर नगर परिषद / नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत / महानगर क्षेत्र / विहार प्रदेश
अपील तथा विवाद अधिनियम, 2012 के अधिनियम के 88 स्टैंड नं०-2494(P), खता नं०-1869, लॉकी
नं०-5728, पाना नं०-01, मौला-सैफा, पता-दाना-दानापुर, जिला-पटना के बाबत निम्नलिखित जारी / निर्देशों के
अव्यापक एक्ट द्वारा भवन योजना शिफ्टा भवन क्षेत्र नं०-...../100/21-22 है, शिफ्टा निर्माण क्षेत्रफल-
2250.15 वर्ग मीटर एवं G-4 की स्वीकृति दी जाती है-

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अथवा रूप से आध्यात्मिक उपयोग के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्ण अनुमोदन के बिना उपयोगों की किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकासपूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठोत्तर के साथ संबंधित योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 616.13 वर्ग मीटर का फॉर्निंग का स्थान खुला रख जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) असावित निर्माण वाली भूमि औसत 11.58 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम होगी।
- (ङ) प्रस्तावित भूमि आउटलेट के विविध पूर्ण स्वामित्व एवं शक्ति पूर्ण कब्जा से अवश्य हो।
- (च) सड़क को सड़क चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आउटलेट, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारी/ या बिना सड़की आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अर्धीन अधिसूचित किसी योजना स्थान के अर्धीन आध्यात्मिक सुसज्जत आयोजन प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद दानापुर आउटलेट क्षेत्र में 00.00 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उठा उठार के रूप में देना।
- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।
- (ज) इस उपबंध के अर्धीन दी गई अनुमति को उस मूल्य, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाधक मान्य नहीं माना जाएगा।

- (अ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् मू-अभिलेख के कारण का अधिकार/टुक/डिल की बाका कोई किराज होने पर किराज की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।
- (ब) बिहार-सम्पदा (विनियमन और विभाग) विनियमनी (BDRJA), 2017 की शर्तों के अन्तर्गत राज्य में तैयार मू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निवेदन कराना अनिवार्य होगा।
- (c) मू सम्पत्ति एवं नक्शा में सम्पत्ति समस्त इन्फ्लेक्सी / बाजारों के स्थापन की जिम्मेदारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की घुटि / डेर-वेर / कपट पूर्ण करना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ-आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ग) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही किये जाये, भविष्य में किसी भी प्रकार से अनियमितता / विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाब देरी आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ङ) Environmental Protection Act. के तहत सतुमनिते भवन के निर्माण के दौरान टुक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विनियम (Solid Waste Management Rules) 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (ण) अफोर्टेबल हाउसिंग एण्ड लोन रिइंबलिटेशन एवं रिडेवलपमेंट हाउसिंग पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत ग्रेटर कण्ड की राशि जमा करने के उपरान्त ही भवन का निर्माण करना होगा।
- (त) रैन वाटर ड्रार्वेस्टिंग सिस्टम एवं सी0सी0टी0पी0 कैमरे का अनिवार्य रूप से भवन में अनुपालन करना होगा।
- (थ) भविष्य में अगर केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / कम संसाधन विभाग / आवक विभाग / अन्य किसी विभाग द्वारा किसी प्रकार का कर / शुल्क लगाया जाता है तो उसका भुगतान अगले द्वारा देय होगा।
- (द) नगर परिषद दानापुर निजामत की कमी भी कोई नियम / शर्त लगाने का अधिकार होगा।
- (ध) अन्य शर्तें
- बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार नगर उन्मोदि 2014 के तहत प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

80K

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

आपक:- 100 दिनांक 07/02/2022

प्रतिनिधि-अवत रसिडेन्सी दीपा पटना, मेसर्स लवली रानी कमन्दुल्लत प्रो लि०, निदेशक-बीमती सरोजबाला, जिला-बी राजीवगवन प्रसाद, पता-101, रामायण अपार्टमेंट, न्यू हाक्सबाला रोड, पटना को सूचनाएं प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत